फर्द अहकाम 2025/26

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

कृष्ण कुमार बनाम गणेश वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए मु0 नं0.........2/13.........सन–2025

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
0.01.2025	प्रार्थी ने मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53, 251 ए के साथ–साथ जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष को आगामी तारीख पेशी 03.03.2025 तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील मालाखेडा के विवादित आराजी खसरा नंबर 533, 534, 535, 537, 538, 539, 543, 544, 545, के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। आईन्दा तारीख पेशी पर स्थगन आदेश का विस्तार करना या नही करना न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ऐडी डाक प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतियॉ भिजवाना सुनिश्चित करे तथा लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप एक पक्षीय आदेश का युक्ति युक्त निर्णय करवाने के लिए हर संभव यत्न करें। उक्त स्थगन आदेश मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली कनेक्शन/पानी/राजकीय विभागो के कार्य/राको के तहत बैंक वसूली कार्यवाही/केसीसी रहन मुक्त व रहन दर्ज करने पर लागू नहीं होगा। पत्रावली दिनांक 03.03.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा 3/3/25 वकील प्रार्थी उप./ वास्ते गौर तलबी किया 9/4/25 को पेश हो	

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)